न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन जिला करौली

पीठासीन अधिकारीः— हेमराज गुर्जर (RAS)

मुकदमा नं0:—82/2017 तारीख रजु 20.07.2017

जीसीएमएस आई0डी0:—2017/00186

मिथलेश मीना पत्नि मेघराम मीना उम्र 35 वर्ष जाति मीना निवासी गांवडी तहसील हिण्डौन जिला करौली राज0

——सायला

बनाम

1. गुटेरी पुत्री दुल्ली उम्र 60 वर्ष
2. प्रेमराज पुत्र दुल्ली उम्र 55 वर्ष
3. कैलाशी पत्नि गुटेरी उम्र 56 वर्ष
4. कैलाशी पत्नि प्रेमराज उम्र 52 वर्ष
5. लोहडे पुत्र फूलचंद उम्र 52 वर्ष
6. बहादुर पुत्र लोहडे उम्र 28 वर्ष
7. दीपक पुत्र लोहडे उम्र 25 वर्ष
8. जमना पत्नि लोहडे उम्र 50 वर्ष

} जाति मीना निवासी गांवडी तहसील हिण्डौन

——गैरसायलान—08

प्रार्थना पत्र बावत् अस्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थितिः—1. श्री हरिबल्लभ चतुर्वेदी वकील सायलान
2. श्री गोविन्द प्रसाद गुप्ता गैरसायलान

निर्णय दिनांक २२-५-२०२५

संक्षेप में मामला इस प्रकार है कि वादीगण द्वारा जरिये वकील वाद पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के तहत पेश किया है कि आराजी हाल खसरा नम्बर 515 रकबा 18 एयर, 601 रकबा 10 ऐयर, 612 रकबा 3 ऐयर, 613 रकबा 9 ऐयर, 615 रकबा 11 ऐयर, 634 रकबा 16 ऐयर कुल किता—6 कुल रकबा 67 ऐयर वाकेतन ग्राम गांवडी तहसील हिण्डौन स्थित है जिसकी सायला तन्हा खातेदार टीनेन्ट है एवं मौके पर काबिज व दखील है। उक्त आराजी को सायला काश्त कर लगान सरकारी अदा करती चली आ रही है। गैरसायलान या अन्य किसी दीगर व्यक्ति का उक्त आराजीयात से कोई संबंध एवं वास्ता नहीं है।

सायला की आराजी खसरा नम्बर 612 613, 615 आबादी के नजदीक है, सायला की आराजी खसरा नम्बर 612. 613 व 615 के पास में गैरसायल सं. 1 व 2 की आबादी बनी हुई थी. गैरसायलान अतिक्रमणकारी व्यक्ति हैं जो शनै—शनै दीगर व्यक्तियों की भूमि पर अतिक्रमण कर कब्जा करने की फिराक में रहते हैं. सायला का पति सवाईमाधोपुर नौकरी करता है, सायला अधिकतर अपने पति के साथ सवाईमाधोपुर रहती है। पीछे से गैरसायलान ने आराजी खसरा नम्बर 612 के 3

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 19:03:04 IST
Reason: SelfAttested

एयर रकबे व खसरा नं. 613 के 2 ऐयर रकबे पर अवैध अतिक्रमण कर करीब तीन माह पूर्व पुख्ता निर्माण कर लिया। सायला गर्मीयों की छुट्टियों में अपने गांत आयी एवं अपनी आराजीयात को संभालने गयी तो देखा कि गैरसायल संख्या 1 ता ने सायला की आराजी खसरा नम्बर 612 व 613 के करीब 5 ऐयर रकबे पर अवैध अतिक्रमण कर लिया है. सायला ने उनसे उनका अतिक्रमण हटाने के लिये कहा तो वे लोग नहीं माने एवं कहने लगे कि अभी तो हमने कंवल 5 ऐयर रकबे पर ही अतिक्रमण किया है हम धीरे धीरे तुम्हारी पूरी जमीन पर अतिक्रमण कर लेंगे। ये लोग रात में अपने मवेशी सायला की फसल में छोड देते हैं जिससे सायला की फसल को गैरसायलान के मवेशी चर जाते हैं एवं अत्यधिक हानि पहुंचाते हैं। ये लोग सायला को सायला की आराजीयात वर्णित मद नं. 2 प्रार्थनापत्र में फसल काश्त करने एवं शांतिपूर्ण उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं जिसका गैरसायलान को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। गैरसायलान ने सायला को अत्यधिक तंग व परेशान कर रखा है ये लोग चाहते हैं कि सायला अपनी आराजीयात वर्णित मद नं. 2 प्रार्थनापत्र से कोई लाभ प्राप्त नहीं कर सके। इसी नीयत से गैरसायलान सायला की फसल को अपने मवेशीयों से नष्ट करवा देते एवं सायला को शांतिपूर्ण उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न करते जिसका उन्हें कोई अधिकार प्राप्त नहीं है।

दिनांक 30 जून 2017 को जब सायला ने मौके पर जाकर देखा कि गैरसायलान ने सायला की आराजीयात में करीब 5 ऐयर रकबे पर अवैध अतिक्रमण कर लिया है तथा सायला के कहने पर भी अपने अतिक्रमण को हटाने को तैयार नहीं हुए एवं शेष आराजीयात के उपयोग उपभोग में भी बाधा उत्पन्न की एवं अवैध कब्जा करने की धमकी दी. इस कारण प्रार्थनापत्र पेश करना आवश्यक हुआ।

गैरसायलान यदि अपने उक्त गैरकानूनी मन्सूबों में कामयाब हो गये तो सायला को अपूर्तनीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी द्रव्य में किया जाना संभव नहीं है, इस कारण गैरसायलान को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जाना आवश्यक है गैरसायलान को पाबंद किये जाने से उन्हें कोई क्षति नहीं है।

प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मय शपथपत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा सायला स्वीकार फरमाया जाकर गैरसायलान को दौराने दाबा जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा इस प्रकार पाबंद फरमाया जावे कि वे सायला को आराजी हाल खसरा नम्बर 515 रकबा 18 एयर, 601 रकबा 10 ऐयर, 612 रकबा 3 ऐयर, 613 रकबा 9 ऐयर, 615 रकबा 11 ऐयर, 634 रकबा 16 ऐयर कुल किता–6 कुल

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 19:03:04 IST
Reason: SelfAttested

रकबा 67 ऐयर वाकेतन ग्राम गांवडी तहसील हिण्डौन के उपयोग उपभोग एवं कब्जे काश्त में किसी प्रकार की बाधा न तो स्वयं उत्पन्न करे, न किसी अन्य से करावे, सायला को उक्त आराजी से जबरन बेदखल नहीं करे, सायला की आराजीयात में अतिक्रमण कर किसी प्रकार का कच्चा या पक्का नवीन निर्माण नहीं करे, सायला की फसल में अपने मवेशीयों से नुकसान नहीं करवावे, तथा ऐसा कोई कृत्य नहीं करे जिससे सायला के अधिकारों पर विपरीत प्रभाव पडे। गैरसायलान सायला की आराजी खसरा नम्बर 612 के रकबा 3 ऐयर, 613 के रकबा 2 ऐयर वाकेतन ग्राम गांवडी तहसील हिण्डौन पर किये गये अवैध निर्माण को अपने खर्चे से हटा लें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान को जरिये नोटिस तबल किया गया। गैरसायलान 1 ता 4 की ओर से श्री गोविन्द प्रसाद गुप्ता ने वकालतनामा पेश किया गैरसायलान 5 ता 8 बाबजूद सूचना उपस्थित नहीं आदेशिका दिनांक 26.09.2017 से इनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। गैरसायलान 1 ता 4 एवं अधिवक्ता गैरसायलान को जबाब पेश करने हेतु कई अवसर दिये जाने के बाबजूद भी जबाब पेश नहीं किया गया आदेशिका दिनांक 27.03.2025 से गैरसायलान 1 ता 4 का जबाब बंद किया गया।

वकील सायलान ने दस्तावेजी सबूत में फोटो प्रति नकल जमाबन्दी संवत 2070–73 खाता संख्या 252 वाके ग्राम गांवडी तहसील हिण्डोन हाल तहसील श्रीमहावीरजी पेश किये है।

उभयपक्ष वकील उपस्थित। उभयपक्ष वकील की बहस सुनी गई। वकील सायलान ने दौराने बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया और कहा गया कि दौराने दावा गैरसायलान को दौराने दाबा जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा इस प्रकार पाबंद फरमाया जावे कि वे सायला को आराजी हाल खसरा नम्बर 515 रकबा 18 एयर, 601 रकबा 10 ऐयर, 612 रकबा 3 ऐयर, 613 रकबा 9 ऐयर, 615 रकबा 11 ऐग्र, 634 रकबा 16 ऐयर कुल किता–6 कुल रकबा 67 ऐयर वाकेतन ग्राम गांवडी तहसील हिण्डौन के उपयोग उपभोग एवं कब्जे काश्त में किसी प्रकार की बाधा न तो स्वयं उत्पन्न करे, न किसी अन्य से करावे, सायला को उक्त आराजी से जबरन बेदखल नहीं करे, सायला की आराजीयात में अतिक्रमण कर किसी प्रकार का कच्चा या पक्का नवीन निर्माण नहीं करे, सायला की फसल में अपने मवेशीयों से नुकसान नहीं करवावे, तथा ऐसा कोई कृत्य नहीं करे जिससे सायला के अधिकारों पर विपरीत प्रभाव पडे। गैरसायलान सायला की आराजी खसरा नम्बर 612

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 19:03:04 IST
Reason: SelfAttested

के रकबा 3 ऐयर, 613 के रकबा 2 ऐयर वाकेतन ग्राम गांवडी तहसील हिण्डौन पर किये गये अवैध निर्माण को अपने खर्चे से हटाने का निवेदन किया। गैरसायलान वकील ने प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया।

प्रकरण में उभयपक्ष वकील की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य में जमाबन्दी संवत 2070–73 खाता संख्या 252 वाके ग्राम गांवडी तहसील हिण्डोन हाल तहसील श्रीमहावीरजी में सायलान खातेदार काश्तकार दर्ज रिकॉर्ड है, खातेदारी की भूमि में प्रत्येक खातेदार का प्रत्येक इंच भू भाग पर कब्जा काश्त माना जाता है जबकि प्रकरण में गैरसायलान का विवादित आराजीयात से कोई लेना देना नहीं है। इसलिये सायलान की दौराने दावा पेचिदगियॉ पैदा नहीं हों, मौके एवं रिकॉर्ड की स्थिति में परिवर्तन एवं अनावश्यक वादकरण बढने की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए एवं सायलान के पक्ष में सुविधा का संतुलन एवं अपूर्तनीय क्षति होना साबित होता है अतः सायलान द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थना पत्र सायलान खिलाफ गैरसायलान बाबत राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के तहत स्वीकार किया जाकर प्रकरण में गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबद किया जाता है कि वे विवादित आराजी खसरा न0 515 रकबा 18 ऐयर, 601 रकबा 10 ऐयर, 612 रकबा 3 ऐयर, 613 रकबा 9 ऐयर, 615 रकबा 11 ऐयर, 634 रकबा 16 ऐयर वाके ग्राम गांवडी तहसील हिण्डौन हाल तहसील श्रीमहावीरजी में मौके की यथास्थिति मूल दावे ताफैसला होने तक बनाये रखे।

आदेश आज दिनांक 22-4-2025 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(हेमराज गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन 22/4/25

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 19:03:04 IST
Reason: SelfAttested